भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1617
उत्तर देने की तारीख 10.03.2025

युवा कलाकारों के लिए योजनाएं

1617. श्री सौमित्र खान :

क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों जैसे शास्त्रीय नृत्य शैलियों, स्वदेशी कलाकृति और अन्य पारंपरिक कला-रूपों में विशेषज्ञता रखने वाले युवा कलाकारों को सहायता देने के लिए कोई परियोजना/योजना/छात्रवृत्ति है;

(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में ऐसी योजनाओं/छात्रवृत्ति के लाभार्थियों की कुल संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में ऐसे युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए आवंटित और उपयोग की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन मान्यताप्राप्त सांस्कृतिक गतिविधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य में जिन सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति दी जाती है; और

(ड.) क्या सरकार ने ऐसी योजनाओं/छात्रवृत्ति के तहत और अधिक सांस्कृतिक गतिविधियों को मान्यता देने पर विचार किया है और यदि हां, तो विशेष रूप से पश्चिम बंगाल राज्य से उनका ब्यौरा क्या है?

उत्तर

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
(गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क): जी, हां। संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय नृत्य रूपों, स्वदेशी कलाओं और अन्य पारंपरिक कला रूपों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त कर रहे युवा कलाकारों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु 'विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्तियां (एसवाईए)' नामक वित्तीय सहायता की स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस स्कीम घटक के अंतर्गत अधिकतम 400 विद्वानों को 2 वर्ष की अवधि के लिए चार बराबर छमाही किस्तों में प्रति माह 5,000/- रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती

है। चयनित विद्वान 18 वर्ष से 25 वर्ष के आयु वर्ग में होने चाहिए और वे किसी गुरु या संस्थान के अधीन कम से कम 5 वर्ष से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों। विद्वानों का चयन मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के समक्ष निजी साक्षात्कार/बातचीत में उनके प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है।

(ख: विगत पांच वर्षों में 'विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की स्कीम' के तहत पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश से चयनित लाभार्थियों की कुल संख्या से संबंधित राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है।

(ग): संस्कृति मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ, 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति की स्कीम' नामक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम संचालित कर रहा है जिसका एक घटक 'विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों हेतु छात्रवृत्तियां' है। उक्त 'कला और संस्कृति के संवर्धन हेतु छात्रवृत्ति और अध्येतावृत्ति की स्कीम' के लिए निधियां आवंटित की जाती हैं, जिसमें राज्य/घटक-वार निधियों का अलग से आवंटन नहीं किया जाता है। विगत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	आवंटित निधियां (करोड़ रुपये में)
1.	2019-20	12.30
2.	2020-21	15.83
3.	2021-22	21.25
4.	2022-23	23.68
5.	2023-24	16.22

विगत पांच वर्षों के दौरान "विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की स्कीम" के तहत पश्चिम बंगाल राज्य सहित पूरे देश में प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** पर दिया गया है।

(घ): 'विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में युवा कलाकारों को छात्रवृत्ति की स्कीम' के दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित मान्यताप्राप्त सांस्कृतिक कार्यकलापों/विषयों/क्षेत्रों में छात्रवृत्तियां प्रदान की जा सकती हैं:

(i) भारतीय शास्त्रीय संगीत

(ii) भारतीय शास्त्रीय नृत्य/नृत्य संगीत

(iii) रंगमंच

(iv) दृश्य कलाएं

(vi) लोक, परंपरागत और स्वदेशी कलाएं

(vi) सुगम शास्त्रीय संगीत

(ड.): ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

अनुलग्नक-I

'युवा कलाकारों के लिए योजनाएं' के संबंध में दिनांक 10 मार्च, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1617 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छात्रवृत्तियों की संख्या				
		बैच वर्ष 2017-18	बैच वर्ष 2018-19	बैच वर्ष 2019-20	बैच वर्ष 2020-21	बैच वर्ष 2021-22
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	00	00	00	01	00
2.	आंध्र प्रदेश	02	06	03	02	03
3.	अरुणाचल प्रदेश	02	04	01	00	02
4.	असम	12	19	27	15	19
5.	बिहार	10	14	15	22	12
6.	छत्तीसगढ़	08	14	11	23	10
7.	चंडीगढ़	00	01	03	06	00
8.	दिल्ली	14	21	23	12	21
9.	गोवा	01	01	02	02	00
10.	गुजरात	09	08	07	08	06
11.	हरियाणा	07	06	05	12	02
12.	हिमाचल प्रदेश	01	01	00	02	02
13.	जम्मू और कश्मीर	02	06	01	06	01
14.	झारखंड	01	05	08	04	08
15.	कर्नाटक	25	24	28	18	26
16.	केरल	20	23	20	15	17
17.	मध्य प्रदेश	28	35	26	46	39
18.	महाराष्ट्र	26	42	41	28	28
19.	मणिपुर	09	09	08	07	17
20.	मेघालय	00	00	00	00	00
21.	मिजोरम	01	00	00	00	00
22.	नागालैंड	00	00	00	00	00
23.	ओडिशा	22	22	25	26	36
24.	पुदुचेरी	01	00	00	00	00
25.	पंजाब	06	04	04	02	01
26.	राजस्थान	04	08	10	09	08
27.	सिक्किम	00	01	01	01	00
28.	तमिलनाडु	10	08	18	10	09
29.	तेलंगाना	05	02	04	02	03
30.	त्रिपुरा	01	01	02	01	04
31.	उत्तर प्रदेश	43	38	36	33	42
32.	उत्तराखंड	07	01	04	04	05
33.	पश्चिम बंगाल	40	60	67	83	79
	कुल	**317**	**384**	**400**	**400**	**400**

अनुलग्नक-II

'युवा कलाकारों के लिए योजनाएं' के संबंध में दिनांक 10 मार्च, 2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1617 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	0.90
2.	आंध्र प्रदेश	6.00	6.30	6.00	0.90	2.70
3.	अरुणाचल प्रदेश	1.80	2.40	2.40	0.30	1.50
4.	असम	18.60	17.70	16.80	8.40	26.70
5.	बिहार	10.80	13.50	12.90	4.80	18.90
6.	चंडीगढ़	0.90	0.60	0.90	0.90	2.70
7.	छत्तीसगढ़	8.70	10.50	10.50	3.00	15.00
8.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	18.00	17.40	24.00	6.30	21.90
9.	गोवा	0.60	1.20	1.20	0.60	1.80
10.	गुजरात	5.10	7.50	7.80	1.50	6.90
11.	हरियाणा	7.50	9.00	6.60	1.50	7.50
12.	हिमाचल प्रदेश	1.20	2.40	1.20	-	1.20
13.	संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर	3.90	6.00	4.80	0.30	2.70
14.	संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख	-	-	-	-	-
15.	झारखंड	5.10	3.90	5.10	2.40	7.20
16.	कर्नाटक	18.90	31.50	24.00	9.00	29.10
17.	केरल	15.60	27.30	22.20	6.00	21.30
18.	मध्य प्रदेश	31.50	36.00	38.40	8.10	39.30
19.	महाराष्ट्र	33.30	39.00	39.60	12.00	38.10
20.	मणिपुर	9.30	9.00	9.00	2.40	11.70
21.	मेघालय	-	-	-	-	-
22.	मिजोरम	0.30	0.30	0.30	-	-
23.	नागालैंड	-	-	-	-	-
24.	ओडिशा	18.30	21.60	22.50	7.50	29.10
25.	पुदुचेरी	0.90	0.60	0.60	-	-
26.	पंजाब	3.00	4.80	4.20	1.20	3.30
27.	राजस्थान	6.30	6.00	6.30	3.00	11.10
28.	सिक्किम	-	0.30	0.60	0.30	0.90
29.	तमिलनाडु	6.30	7.80	11.10	5.40	15.30
30.	तेलंगाना	1.20	3.90	3.60	0.90	3.90
31.	त्रिपुरा	1.20	0.90	0.90	0.60	3.00
32.	उत्तराखंड	2.70	3.60	2.40	0.90	4.80
33.	उत्तर प्रदेश	39.60	40.20	45.90	10.50	40.20
34.	पश्चिम बंगाल	49.20	48.30	58.50	20.10	83.70
	कुल	**325.80**	**379.50**	**390.30**	**118.80**	**452.40**

******